

[2023] 6 एस. सी. आर 831

के. चिनामल (मृत) टीएचआर। एलआरएस।

बी.

एल. आर. एकनाथ और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं. (एस)। 3626 2023 का)

11 मई, 2023

[कृष्णा मुरारी और

अहसनुद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.]

तमिलनाडु खेती किरायेदार संरक्षण अधिनियम, 1955। 3 और 4-के तहत बेदखली-प्रतिवादी संख्या 1 ने T.C.T.P दायर किया। संख्या 5 अपीलकर्ताओं के विरुद्ध राजस्व न्यायालय के समक्ष 2015 का

फसली 1419 के पट्टे का किराया फसली 1424 (वर्ष 2009 से 2014 के अनुरूप) को नहीं देने के कारण उनकी बेदखली-राजस्व अदालत ने अपीलकर्ताओं को धान के 31 1/2 बोरे के पट्टे का किराया या इसके बराबर राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।

उत्तरदाता, आदेश की प्राप्ति के दो महीने के भीतर, ऐसा न करने पर अपीलार्थियों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही शुरू की जाएगी

पट्टा राशि अंततः अपीलार्थियों द्वारा जमा की गई थी

18.02.2021 उत्तरदाता नं. 1 तब अपीलकर्ताओं को बेदखल करने की मांग करते हुए राजस्व न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया गया-राजस्व न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर अनुमति दी कि अपीलकर्ताओं ने दो महीने के भीतर पट्टा किराया राशि जमा नहीं की-उच्च न्यायालय ने राजस्व न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया-अपील पर कहा गया: राजस्व न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.02.2019 के मूल आदेश पर अपीलकर्ताओं द्वारा कभी भी हमला नहीं किया गया था और इस प्रकार यह अंतिम रूप ले चुका था।

इसके अलावा, राजस्व अदालत के आदेश का अनुपालन आदेश की तारीख-धारा 3 और धाराओं के दो महीने के भीतर नहीं किया गया था। 4 1955 अधिनियम की धारा अपीलार्थियों के बचाव में नहीं आएगी क्योंकि एस के अनुसार। 3 , राजस्व न्यायालय के निर्देश के अनुसार किराए का देर से भुगतान स्पष्ट रूप से बेदखली के लिए एक वैध आधार है और इसी तरह, एस। 4 केवल सीमित मामलों में कब्जे की बहाली का प्रावधान है और वह भी जब चूक केवल एक वर्ष की पट्टे की राशि का भुगतान किया जाना है; जबकि वर्तमान मामले में, चूक तीन फसली वर्षों के लिए थी अपील बिना किसी योग्यता के थी।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1. इस न्यायालय को वर्तमान में कोई योग्यता नहीं मिलती है।

अपील करें। शुरू में, 04.02.2019 दिनांकित आदेश, द्वारा पारित किया गया

[2023] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्व न्यायालय पर अपीलार्थियों द्वारा कभी हमला नहीं किया गया था। इस प्रकार, किरायेदार-मकान मालिक का संबंध विवादित नहीं है। इसके अलावा, हालांकि प्रतिवादी नहीं। 1 मुकदमा दर्ज किया था

फसली (ओं) संख्या 1419 से 1424 के लिए पट्टे के किराए की वसूली प्रत्येक वर्ष के लिए धान के 10 प्रतिशत बोरे, प्रत्येक बोरे का वजन 65 किलोग्राम। ; अंततः राजस्व न्यायालय द्वारा 04.02.2019 पर पारित आदेश अपीलार्थियों को फसली संख्या 1421,1423 और 1424 के लिए प्रत्यर्थियों को धान के 31/2 बोरे या इसके बराबर राशि का भुगतान करने के निर्देश के रूप में था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मूल आदेश दिनांक 04.02.2019, जिस पर कभी हमला नहीं किया गया था, ने अंतिमता प्राप्त कर ली है। 10.10.2020 पर दिनांकित 04.02.2019 आदेश की प्रति प्राप्त करने पर भी, दो महीने के भीतर यानी 09.12.2020 द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। [पैरा 20] [838-बी-डी]

2. केवल अपीलकर्ताओं द्वारा 06.11.2020 पर एक कानूनी सूचना भेजकर, प्रत्यर्थी को न. 1 आने और किराया इकट्ठा करने के लिए, वास्तव में, भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे। अपीलार्थी उत्तरदाताओं को एक के माध्यम से नहीं बुला सकते थे

केवल सीमित मामलों में कब्जा और वह भी जब डिफॉल्ट है केवल एक वर्ष की पट्टे की राशि का भुगतान किया जाना था; जबकि वर्तमान मामले में, चूक तीन फसली वर्षों के लिए थी। [पैरा 23] [845-डी-ई]

एस एन सुंदलैमुथु चेट्टियार बनाम पलानीयंदवन, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 469:
[1966] एस. सी. आर. 450-लागू नहीं होता है।

के. चिनामल (मृत) टीएचआर। एलआरएस। वी. एल. आर. एकनाथ

जी पोन्निया थेवर बनाम नेल्लयम पेरुमल पिल्लई, (1977) 1 एससीसी 500 [1977] 2 एससीआर 446-विशिष्ट।

एस्ट्राला रबर बनाम दास एस्टेट (पी) लिमिटेड, (2001) 8 एससीसी 97 [2001] 3 पूरक। एससीआर 68; गारमेंट क्राफ्ट बनाम प्रकाश

चांद गोयल, (2022) 4 एस. सी. सी. 181-पर भरोसा किया। सीमा के विस्तार के लिए संज्ञान, पुनः (2022)

2 एससीसी 117; एस कासी बनाम राज्य, (2021) 12 एससीसी 1-संदर्भित को।

मामला कानून संदर्भ

[1966] एससीआर 450

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 24

[1977] 2 एससीआर 446

प्रतिष्ठित

पै

रा 25

[2001] 3 पूरक। एससीआर 68

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

(2022) 4 एससीसी 181

पर भरोसा किया।

पै

रा 31

(2022) 2 एससीसी 117

संदर्भित किया गया है

रा 26

(2021) 12 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

रा 27

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.3626

2023 तक।

उच्च न्यायालय के 25.04.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2022 के सी. आर. पी. (एन. पी. डी.) (एम. डी.) No.271 में मदुरै में मद्रास में न्यायिक कार्य।

एस. गौतम, संदीप राणा, सुश्री एम. वेनमानी, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

एस. डी. द्वारकानाथ, चंद कुरैशी, रमाकांत शर्मा, सुकेश

घोष, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी।

2. छुट्टी दे दी गई।

3. वर्तमान अपील अंतिम निर्णय के खिलाफ निर्देशित है और

2022 की सिविल संशोधन याचिका (एन. पी. डी.) (एम. डी.) संख्या 271 (इसके बाद "सिविल संशोधन याचिका" के रूप में संदर्भित) में दिनांकित 25.04.2022 (इसके बाद "विवादित निर्णय" के रूप में संदर्भित) आदेश, एक [2023] 6 एस. सी. आर. द्वारा पारित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ के विद्वान

(इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित)। उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद का सहारा लेते हुए अपीलार्थियों द्वारा दायर नागरिक संशोधन याचिका को खारिज कर दिया

227 भारत के संविधान (इसके बाद "संविधान" के रूप में संदर्भित)।

वास्तविक प्रिज्म:

4. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने राजस्व अदालत, मदुरै (इसके बाद "राजस्व अदालत" के रूप में संदर्भित) के समक्ष 2015 की संख्या 5 दर्ज की थी, जिसमें अपीलकर्ताओं के खिलाफ फसली 1419 के लिए पट्टे के किराए का भुगतान नहीं करने के कारण उन्हें बेदखल करने की मांग की गई थी।

आदेश की प्राप्ति के दो महीने के भीतर उत्तरदाताओं को धान के 31 1/2 बोरे का पट्टा किराया या उसके बराबर राशि का भुगतान करें, जिसमें विफल रहने पर अपीलार्थियों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि उक्त आदेश से संबंधित था - फसली (ओं) 1421, 1423 और 1424 के लिए पट्टा किराया। हालाँकि इसके बाद पक्षों के बीच कानूनी नोटिसों का आदान-प्रदान किया गया था, लेकिन कहा जाता है कि पट्टा राशि अंततः अपीलार्थियों द्वारा 18.02.2021 पर जमा कर दी गई थी। राजस्व अदालत में 22.02.2021 दिनांकित एक ज्ञापन दायर किया गया था।

6. प्रत्यर्थी नं. 1 फिर अपीलार्थियों को बेदखल करने की मांग करते हुए राजस्व न्यायालय के समक्ष 2015 की आई. डी. 1. संख्या 5 में 2021 की आई. ए. संख्या 15 दायर की गई।

क्योंकि वे पट्टे के किराए के लिए धान के 31 1/2 थैले, या समकक्ष राशि देने में विफल रहे थे, जिसे इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि अपीलकर्ताओं ने दो महीने के भीतर पट्टे के किराए की राशि जमा नहीं की थी।

7. अपीलकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में 2022 की सिविल संशोधन याचिका (एन. पी. डी.) संख्या 271 के माध्यम से दिनांकित 03.12.2021 के आदेश को चुनौती दी। इसे विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें विशेष उप-क्लेक्टर, राजस्व न्यायालय द्वारा 2021 की आई. ए. संख्या 15 में 2015 की आई. डी. संख्या 5 में पारित आदेश की पुष्टि की गई थी, इस प्रकार वर्तमान अपील को जन्म दिया गया। हम यहाँ नीचे संक्षिप्त क्रम को कुल मिलाकर निकालना उचित समझते हैं:

के. चिनामल (मृत) टीएचआर। एलआरएस। वी. एल. आर. एकनाथ [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.]

" विशेष द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करने के लिए

2021 के I.A.No.15 में उप-क्लेक्टर, राजस्व न्यायालय, मदुरै

2015 के T.C.T.P.No.5 दिनांक 03.12.2021 में, संशोधन

याचिकाकर्ताओं ने इससे पहले यह सिविल संशोधन याचिका दायर की है।

अदालत।

2. दोनों पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील को सुना

और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।

3. 2015 के आई. ए. No.29 में दिनांकित 04.02.2019 आदेश के अनुसार

2015 के T.C.T.P.No.5 में, राजस्व न्यायालय, मदुरै ने

पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं को पट्टा राशि जमा करने का निर्देश दिया

तीन फसली के लिए, 1421, 1423 और 1424, आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर। पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं को 10.10.2020 पर आदेश की प्रति प्राप्त हुई थी। तो,

पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं को पट्टा राशि का भुगतान करना होगा 10.10.2020 से महीनों पहले, लेकिन उन्होंने केवल 18.02.2021, यानी लीज एम्पोंपंट जमा किया था।, समय सीमा से परे। द.

पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने नोटिस जारी किया है

प्रत्यर्थी को, लेकिन उन्होंने आदेश की प्रति प्राप्त करने की तारीख से तीन महीने के भीतर पट्टा राशि जमा नहीं की है। इसलिए, उस आधार पर राजस्व न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं को भूमि खाली करने का सही निर्देश दिया है। इस न्यायालय को इस पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देने का कोई वैध कारण नहीं मिलता है।

4. तदनुसार, यह सिविल संशोधन याचिका कायम है।

खारिज कर दिया गया और विशेष उप-क्लेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया, राजस्व न्यायालय, मदुरै ने 2015 के आई. ए. 03.12.2021 में 2021 के आई. ए. No.15 की पुष्टि की है। कोई लागत नहीं।

नतीजतन, संबंधित विविध याचिका को बंद कर दिया जाता है।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुतियाँ:

8. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने केवल 10.10.2020 पर 04.02.2019 दिनांकित आदेश का विरोध किया था और उत्तरदाता संख्या 1 को 06.11.2020 पर सूचना भेजी थी, अर्थात्, दिनांकित 04.02.2019 आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो घंटे के भीतर, (ए) धान के 31/2 पट्टे

के किराए का भुगतान करने के लिए उनकी तत्परता और इच्छा को दर्शाते हुए, और (बी) उन्हें सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ आने के लिए कहा था।

पट्टेदार और पट्टे का किराया इकट्ठा करें।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता आने और पट्टे के किराए के बकाया को स्वीकार करने में विफल रहने के कारण, उसे जमा कर दिया गया था विशेष उप-क्लेक्टर, राजस्व न्यायालय के भारतीय स्टेट बैंक कोषागार में Rs.28 के लिए 18.02.2021 पर अदालत में 563/- और अपीलार्थियों द्वारा उक्त राजस्व न्यायालय के समक्ष इस तरह की जमा राशि की प्राप्ति के साथ 22.02.2021 दिनांकित एक ज्ञापन दायर किया गया था।

अपीलार्थियों को इस आधार पर बेदखल करना कि धान के 31 1/2 बोरे के पट्टे के किराए का भुगतान दो महीने के भीतर नहीं किया गया था, जैसा कि आदेश दिनांक 1 द्वारा निर्देशित किया गया था। 12. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा 2015 की आई. ए. संख्या 15 को पूरी स्थिति समझाने और पट्टा किराया राशि का भुगतान करने में किसी भी देरी से इनकार करने के बाद भी, विशेष उप क्लेक्टर, राजस्व न्यायालय ने 2012 की आई. ए. संख्या 15 में T.C.T.P. 2015 की संख्या 5 में दिनांकित 03.12.2021 आदेश द्वारा निर्देश दिया कि अपीलकर्ताओं को संबंधित भूमि से बेदखल किया जाए।

13. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.04.2022 के विवादित निर्णय के माध्यम से नागरिक संशोधन याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया था और विशेष उप क्लेक्टर, राजस्व न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 03.12.2021 के आदेश की पुष्टि की थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि तमिलनाडु खेती किरायेदार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 3

(इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) देय राशि (राशि) जमा करने के बाद बेदखली का प्रावधान नहीं करता है और वर्तमान मामले में, देरी, अत्यधिक नहीं होने के कारण, ऐसा आदेश (आदेश) पारित नहीं किया जाना चाहिए था। विद्वान वकील का आगे यह तर्क था कि अधिनियम की धारा 3 भी

बेदखल करने के लिए आधार के रूप में किराया जमा करने में देरी को निर्दिष्ट नहीं करता है।

14. इसके बाद यह आग्रह किया गया कि 04.02.2019 दिनांकित आदेश अपीलार्थियों द्वारा केवल 10.10.2020 पर प्राप्त किया गया था और अंत में भुगतान के. चिनामल (मृत) टीएचआर किया गया था।

एलआरएस। वी. एल. आर. एकनाथ [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.]

18.02.2021 पर, कोविड-19 महामारी के दौरान आने वाली उक्त अवधि में, देरी को माफ करने की आवश्यकता थी।

15. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 4 किसी भी राशि के भुगतान पर भूमि के कब्जे की बहाली का भी प्रावधान करती है।

किराए का बकाया।

उत्तरदाता संख्या 1 की प्रस्तुतियाँ:

16. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील नं। 1 प्रस्तुत किया कि स्वयं अपीलार्थियों के विवाद के अनुसार भी, की प्रति

दिनांकित 04.02.2019 का आदेश उन्हें 10.10.2020 पर प्राप्त हुआ था और इस प्रकार, उन्हें उसी नवीनतम का 09.12.2020 यानी 2 महीने के भीतर पालन करना था, जो, निश्चित रूप से, नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ताओं ने केवल देरी करने के लिए, एक तुच्छ कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें कहा गया था कि मूल पट्टेदार के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को एक साथ आना चाहिए और किराया प्राप्त करना चाहिए और रसीद जारी करनी चाहिए, जिसका उचित जवाब दिया गया था

उत्तरदाता नं. 1 21.12.2020 पर, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि अपीलकर्ताओं द्वारा पट्टे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

17. यह प्रस्तुत किया गया था कि 18.02.2021 पर भी, कुल अर्जित राशि के बजाय केवल Rs.28,563/- की राशि जमा की गई थी। Rs.37,820/- और आज तक शेष राशि जमा नहीं की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ताओं ने इस तथ्य को दबा दिया कि

प्रतिवादी संख्या 1 ने, विवादित निर्णय के पारित होने के बाद, पुलिस सुरक्षा और वितरण के लिए 2022 की निष्पादन कार्यवाही संख्या 1 और 2022 की ई. ए. संख्या 5 की स्थापना की थी, जो अंततः 13.10.2022 पर प्रभावी हुई।

विश्लेषण, कारण और निष्कर्ष:

18. हालाँकि इस न्यायालय ने मौखिक रूप से लिखित रूप से दाखिल करने की अनुमति दी थी

हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने कुल 16 पृष्ठों (अधिनियम के उद्धरणों सहित) की लिखित प्रस्तुतियाँ दायर कीं, वह भी उत्तरदाताओं को उनकी एक प्रति भेजे बिना। इसके अलावा, देर से, अपीलकर्ताओं ने दूसरे पक्ष की सेवा किए बिना फिर से निर्णयों की एक सूची भी दायर की। 19. इस प्रकार, यह न्यायालय, आम तौर पर, इस पर विचार करने से भी इनकार कर देता, लेकिन फिर भी, न्याय के हित में, दोनों का सर्वेक्षण किया है।

लिखित प्रस्तुतियाँ और प्रस्तुत किए गए निर्णय, विशेष रूप से इस कारण से कि अंततः हमारे द्वारा आदेश पारित किए जाने को देखते हुए, कोई पूर्वाग्रह नहीं [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरदाता नं। 1 आने और किराया इकट्ठा करने के लिए, वास्तव में, भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे। अपीलार्थी कानूनी सूचना के माध्यम से प्रत्यर्थियों को आने और किराया एकत्र करने के लिए नहीं कह सकते थे, क्योंकि केवल इतना कहा गया था कि वे आदेश पर हमला नहीं करने के कारण कानूनी रूप से बाध्य थे। दिनांक 04.02.2019, भुगतान करने के लिए और, यदि किसी भी कारण से प्रतिवादी नहीं। 1, या तो अनुपलब्धता या प्रतिरोध/इसे प्राप्त करने/स्वीकार करने से इनकार करने के कारण, दिनांक 1 के आदेश में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि या तो 31 1/2 बोरे धान या उसके बराबर राशि आसानी से राजस्व न्यायालय के समक्ष जमा की जा सकती थी; जैसा कि अंततः कहा जाता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा, हालांकि देर से, 2 पर किया गया था।

22. अधिनियम की धारा 3 और 4 निम्नानुसार है:

" 3. जमींदार खेती करने वाले किरायेदारों को बेदखल नहीं करेंगे

अपने भूस्वामित्व द्वारा या उसके निर्देश पर, चाहे वह किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में हो या अन्यथा।
(2) अगली उत्तरवर्ती उप-धारा के अधीन, उप-धारा

(1) खेती करने वाले किरायेदार चिनामल (मृत) टी. एच. आर. पर लागू नहीं होगा।

एलआरएस। वी. एल. आर. एकनाथ [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.]

(क) जो उन क्षेत्रों में, जहां तंजौर किरायेदार और पन्नायाल संरक्षण अधिनियम, 1952 (1952 का तमिलनाडु अधिनियम XIV), तमिलनाडु कृषि किरायेदार संरक्षण अधिनियम के लागू होने से तुरंत पहले लागू था।

(संशोधन) अधिनियम, 1956, यदि इस अधिनियम के प्रारंभ में बकाया है, तो मकान मालिक को देय किराए के संबंध में ऐसे प्रारंभ के छह सप्ताह के भीतर ऐसा किराया नहीं देता है या जो इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद मकान मालिक को देय किराए के संबंध में, ऐसा किराया देय होने के एक महीने के भीतर ऐसा किराया नहीं देता है; या

((क) जो तमिलनाडु राज्य के अन्य क्षेत्रों में, यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के समय बकाया है, तो मकान मालिक को देय किराए के संबंध में और 31 मार्च, 1954 को देय उपखंड के संबंध में, एक महीने के भीतर ऐसे किराए का भुगतान नहीं करता है, या जो ऐसे प्रारंभ के बाद मकान मालिक को देय किराए के संबंध में, ऐसा किराया देय होने के एक महीने के भीतर ऐसा किराया नहीं देता है; या ((ख) जिसने कोई ऐसा कार्य किया है या जो भूमि या उस पर लगी किसी फसल के लिए विनाशकारी या हानिकारक है या जिसने खेती करना पूरी तरह से बंद कर दिया है।

भूमि; या

(ग) जिसने किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग नहीं किया है

कृषि या बागवानी उद्देश्य; या
किया है

(घ) जिसने जानबूझकर मकान मालिक की उपाधि से इनकार

भूमि।

स्पष्टीकरण I-एक के तहत मकान मालिक के अधिकार का खंडन

तथ्य की एक निश्चित गलती खंड के अर्थ के भीतर जानबूझकर नहीं है।स्पष्टीकरण II। - जिन क्षेत्रों में तमिलनाडु कृषि किरायेदार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1956 लागू होने से ठीक पहले तंजौर वार्षिक संरक्षण अधिनियम, 1952 (1952 का तमिलनाडु) अधिनियम XIV) लागू था, उनके संबंध में इस अधिनियम में "इस अधिनियम का प्रारंभ" शब्द का उल्लेख किया जाएगा।

उपर्युक्त तिथि।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्टीकरण III। - जोड़ी गई राज्यक्षेत्रों के संबंध में, इस उप-धारा का खंड (एए) इस प्रकार प्रभावी होगा जैसे कि -

निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया गया था, अर्थात्:

" (एए) जो, यदि उस तारीख को बकाया है जिस दिन तमिलनाडु

खेती किरायेदारों का संरक्षण और उचित किराए का भुगतान (अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त तनाव) अधिनियम, 1963, पहली बार [फोर्ट सेंट जॉर्ज राजपत्र] में प्रकाशित किया गया है, जिसमें मकान मालिक को देय किराए के संबंध में और ऐसी तारीख से एक महीने की अवधि के दौरान उपार्जित किराया ऐसी तारीख के बाद एक महीने के भीतर ऐसा किराया नहीं देता है, या जो ऐसी तारीख के बाद मकान मालिक को देय किराए के संबंध में, एक महीने के भीतर ऐसा किराया नहीं देता है।

ऐसा किराया देय हो जाता है; या "

स्पष्टीकरण IV। - कन्याकुमारी जिले के संबंध में, इस उप-धारा के खंड (एए) का प्रभाव इस प्रकार होगा जैसे कि निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया गया हो, अर्थात्:

(आ) जो, यदि उस धनराशी पर बकाया है जिस पर तमिलनाडु ने

खेती किरायेदारों का संरक्षण और उचित किराए का भुगतान (कन्याकुमारी जिले के लिए अतिरिक्त तनाव) अधिनियम, 1972, पहली बार तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसमें मकान मालिक को देय और एक प्रस्ताव की अवधि के दौरान उपार्जित किराए के संबंध में ऐसी तारीख से पहले ऐसी तारीख के बाद एक महीने के भीतर इस तरह के किराए का भुगतान नहीं करता है, या जो ऐसी तारीख के बाद भूमि मालिक को देय किराए के संबंध में, एक महीने के भीतर इस तरह के किराए का भुगतान नहीं करता है।

ऐसा किराया देय होने के बाद; या]

(3) (क) एक कृषक किरायेदार न्यायालय में किराया जमा कर सकता है या, यदि किराया किसी प्रकार से देय है, तो जमा की तारीख को इसका बाजार मूल्य मकान मालिक के खाते में जमा कर सकता है।

((i) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के एक महीने के भीतर 31 मार्च, 1954 के बाद उपार्जित किराए के मामले में;

((ii) इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद उपार्जित किराए के मामले में, उस तारीख के बाद एक महीने के भीतर जिस दिन किराया दिया गया था।

कृज देय;

(ख) न्यायालय मकान मालिक को जमा की सूचना जारी कराएगा और संक्षिप्त जांच के बाद यह निर्धारित करेगा कि क्या

जमा की गई राशि एक्स. चिनामल (मृत) टीएचआर से देय किराए की सही राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

एलआरएस। वी. एल. आर. एकनाथ [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.]

खेती करने वाला किरायेदार। यदि न्यायालय को लगता है कि कोई और राशि देय है, तो वह खेती करने वाले किरायेदार को मकान मालिक और खेती करने वाले किरायेदार के सापेक्ष परिधि के रुख को ध्यान में रखते हुए ऐसी अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए ऐसा समय देगा, जिसमें ऐसी लागतें भी शामिल हों, जिसकी अदालत अनुमति दे। यदि न्यायालय यह निर्णय देता है कि कोई और राशि देय नहीं है, या यदि समय के भीतर खेती करने वाले किरायेदार की जमा राशि ऐसी अतिरिक्त राशि की अनुमति देती है जो न्यायालय द्वारा आदेशित है, तो खेती करने वाले किरायेदार को अंतिम पूर्वगामी उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर किराया का भुगतान किया हुआ माना जाएगा। यदि, एक और राशि जमा करने के लिए, कृषि किरायेदार न्यायालय द्वारा अनुमत समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो मकान मालिक उप-धारा (4) में दिए गए प्रावधान के अनुसार कृषि किरायेदार को बेदखल कर सकता है। (ग) इस उप-धारा में "न्यायालय" पद का अर्थ है वह न्यायालय जिसने बेदखली के लिए डिक्री या आदेश पारित किया, या जहां ऐसी कोई डिक्री या आदेश नहीं है, राजस्व मंडल अधिकारी।

स्पष्टीकरण I-तिरुनेलवेली जिले के शेनकोट्टा तालुक के संबंध में, इस उप-धारा के खंड (क) में जहां कहीं भी 'इस अधिनियम का प्रारंभ' अभिव्यक्ति आती है, उसका अर्थ उस तारीख के संदर्भ में लगाया जाएगा जिस दिन तमिलनाडु खेती किरायेदारों का संरक्षण और उचित किराए का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 1961 पहली बार फोर्ट सेंट जॉर्ज राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

स्पष्टीकरण II। - जोड़े गए क्षेत्रों के संबंध में, पूर्व दबाव '31 मार्च 1954 के बाद उपार्जित किराया'

इस उप-धारा के खंड (ए) के उपखंड (आई) में होने वाला होगा

तमिलनाडु दस चींटियों का संरक्षण और उचित किराए का भुगतान (अतिरिक्त क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1963 पहली बार फोर्ट सेंट जॉर्ज गा में प्रकाशित होने की तारीख से एक महीने की अवधि के दौरान उपार्जित किराए के संदर्भ में माना जाता है। जेट।

स्पष्टीकरण III। - कन्याकुमारी जिले के संबंध में, उपखंड में आने वाली '31 मार्च 1954' के अधीन देय उद्गृहीत किराया 'अभिव्यक्ति है। ((i) इस उप-धारा के खंड (क) का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह किसी अवधि के दौरान उपार्जित किराए के बारे में है।

उस तारीख से एक महीने पहले की तारीख जिस पर [तमिलनाडु] किरायेदारों की खेती, उचित किराए का संरक्षण और भुगतान (6 एस. सी. आर. तक विस्तार)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कन्याकुमारी जिला) अधिनियम, 1972, पहली बार तमिल में प्रकाशित हुआ है।

नाडु सरकारी राजपत्र।

(4) (क) उप-धारा (2) के तहत आने वाले कृषि किरायेदार को बेदखल करने की मांग करने वाला प्रत्येक मकान मालिक, चाहे ऐसे कृषि किरायेदार को बेदखल करने के लिए किसी न्यायालय का कोई आदेश या डिक्री हो या न हो, राजस्व प्रभागीय अधिकारी और ऐसे आवेदनकर्ता को किए गए आवेदन पर एक रुपये का न्यायालय शुल्क स्टाम्प होगा।

(ख) इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर, राजस्व मंडल

(क) या उप-धारा (2) का खंड (ए) जिसमें किरायेदार ने उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों का लाभ नहीं उठाया था, राजस्व मंडल अधिकारी खेती करने वाले किरायेदार को ऐसा समय दे सकता है जैसे - वह इस अधिनियम के तहत देय किराए के बकाया को जमा करने के लिए मकान मालिक और खेती करने वाले किरायेदार की सापेक्ष स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत और उचित मानता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

धारा (3) (बी)। यदि खेती करने वाला किरायेदार निर्देश के अनुसार राशि जमा करने में विफल रहता है, तो राजस्व मंडल अधिकारी इसके लिए एक आदेश पारित करेगा। निष्कासन।

बशर्ते कि राजस्व प्रभागीय अधिकारी खेती करने वाले किरायेदार को किराए के ऐसे बकाया राशि जमा करने के लिए नहीं कहेगा जो उस समय लागू किसी सीमा कानून के तहत प्रतिबंधित हो गए हैं।

4. अधिकार की बहाली का अधिकार।

(1) प्रत्येक खेतिहर किरायेदार, जिसके पास 1 दिसंबर 1953 को किसी भूमि का कब्जा था और जो इस अधिनियम के प्रारंभ में उसके कब्जे में नहीं है, राजस्व मंडल अधिकारी को आवेदन करने पर, इस तरह के कब्जे में बहाल होने का हकदार होगा। वही शर्तें जो 1 दिसंबर 1953 को भूमि के कब्जे पर लागू होती हैं।

(2) उप-धारा (1) की किसी भी बात से ऐसा नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे किसी भी खेती करने वाले किरायेदार को X. CHINNAMMAL (DEAD) THR के अधिकार की बहाली का हकदार बनाता है।

एलआरएस। वी. एल. आर. एकनाथ [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.]

(i) यदि, जिस दिन यह अधिनियम लागू होता है, वह नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि के मालिक के रूप में या किरायेदार के रूप में या दोनों के रूप में कब्जे में है या यदि वह इस अवधि के दौरान ऐसे करों के उद्ग्रहण से संबंधित संबंधित कानूनों के तहत किसी भी विक्री-कर, पेशे-कर या आय-कर का आकलन किया जाता है।

1953-54 या 1954-55; या

((ii) यदि मकान मालिक, ऐसे खेती करने वाले किरायेदार को भूमि से बेदखल करने के बाद [भूमि पर व्यक्तिगत खेती कर रहा है], तो निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

(क) ऐसे मकान मालिक द्वारा धारित भूमि का कुल विस्तार, जिसमें वह भूमि, यदि कोई हो, उसके द्वारा किरायेदार के रूप में धारित भूमि भी शामिल है, नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है; और

(ख) मकान मालिक का किसी भी विक्री कर के लिए निर्धारण नहीं किया गया है,

1953-54 या 1954-55 के दौरान ऐसे करों के उद्ग्रहण से संबंधित संबंधित कानूनों के तहत पेशा-कर या आय-कर;

या

((iii) यदि 1 दिसंबर, 1953 के बाद, मकान मालिक ने किसी अन्य खेती करने वाले किरायेदार को अपने कब्जे में ले लिया है।

भूमि और ऐसे अन्य किरायेदार ने इस अधिनियम के लागू होने से पहले भूमि पर खेती की है।

बशर्ते कि जहां ऐसा अन्य किरायेदार कब्जे में हो,

स्वामी के रूप में या किरायेदार के रूप में या किसी अन्य भूमि के दोनों के रूप में जो नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट सीमा से अधिक है और

कृषक किरायेदार, जिसे बेदखल किया गया था, किसी भी भूमि के कब्जे में नहीं है या किसी अन्य भूमि के कब्जे में है जो उक्त स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट सीमा से कम है, खेती करने वाला किरायेदार होगा - अधिकार की बहाली का अधिकार।

स्पष्टीकरण। - खंड (i) से (iii) में निर्दिष्ट सीमा

ऊपर 6-23 एकड़ गीली भूमि है।

(3) राजस्व संभागीय अधिकारी को प्रत्येक आवेदन

उप-धारा (1) इस अधिनियम के लागू होने के तीस दिनों के भीतर बनाई जाएगी और उस पर एक अदालत की फीस की मुहर होगी।

6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि आवेदन उपरोक्त तीस दिनों के बाद प्राप्त हो सकता है, यदि आवेदक राजस्व मंडल अधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसा न करने का पर्याप्त कारण था।

उस अवधि के भीतर आवेदन। (4) उप-धारा (3) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, राजस्व प्रभागीय अधिकारी उचित अवसर देने के बाद

भूमि के मालिक और खेती करने वाले किरायेदार, यदि कोई हो, को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, एक सारांश आयोजित करें।

मामले की जांच करें और एक आदेश पारित करें जिसमें या तो आवेदन को अनुमति दी जाए, या इसे खारिज करते हुए राजस्व मंडल अधिकारी ऐसी शर्तें रख सकते हैं जो वह न्यायसंगत और न्यायसंगत मान सकते हैं, जिसमें शामिल हैं:

(i) आवेदक द्वारा मकान मालिक को पहले से देय किराए के किसी भी बकाया का भुगतान, लेकिन एक वर्ष के किराए की राशि से अधिक नहीं, और

((ख) मकान मालिक या अन्य खेती करने वाले किरायेदार के आवेदक द्वारा उस अवधि के दौरान किए गए खर्च या उसके द्वारा किए गए श्रम के संबंध में प्रतिपूर्ति, जब आवेदक कब्जे में नहीं था, किसी भी फसल पर जो निहित नहीं है, यदि पक्षकारों के बीच एक समझौता नहीं हुआ है, जैसा कि ऐसी प्रतिपूर्ति की दरों और तरीके के संबंध में पक्षों के बीच नहीं हुआ है।

स्पष्टीकरण। - खंड (ii) में यथा उपबंधित प्रतिपूर्ति से संबंधित कोई शर्त अधिरोपित करने के बदले, राजस्व प्रभागीय अधिकारी, अपने विवेकाधिकार पर, भूमि के कब्जे के लिए सहायक की बहाली को तब तक स्थगित कर सकता है जब तक कि आदेश पारित होने पर चूने पर उस पर उगाई जा रही किसी भी फसल की कटाई नहीं हो जाती है।

(5) कोई भी खेती करने वाला किरायेदार जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद उप-धारा के प्रावधानों के अलावा बेदखल कर दिया गया है।

धारा 3 की धारा (4) ऐसी बेदखली की तारीख से दो महीने के भीतर या तमिलनाडु कृषि किरायेदार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का तमिलनाडु अधिनियम XIV) के लागू होने की तारीख से दो महीने के भीतर राजस्व प्रभागीय अधिकारी को उन भूमि के कब्जे की बहाली के लिए आवेदन करने का हकदार होगा जिनसे उन्हें बेदखल किया गया था और के. चिनम्मल (मृत) टीएचआर को धारण करने के लिए।

एलआरएस। वी. एल. आर. एकनाथ [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.]

उन्हें सभी अधिकारों के साथ और एक खेती करने वाले किरायेदार की सभी देनदारियों के अधीन। उप-धारा (4) के प्रावधान, जहाँ तक हो सके,

हो, ऐसे आवेदन पर आवेदन करें।

स्पष्टीकरण I-के शेनकोटा तालुक के संबंध में

तिरुनेलवेली जिला, 1 दिसंबर, 1953 'और

' 1953-54 या 1954-55 जहाँ कहीं भी वे इस धारा में पाए जाते हैं, उनका अर्थ क्रमशः '1 मार्च, 1958' और '1957' के संदर्भ में लगाया जाएगा।

58 या 1958-59 '।

स्पष्टीकरण II। - उप-धारा (1), (2) और (3) में कुछ भी नहीं

यह जोड़े गए क्षेत्रों पर लागू होगा।

स्पष्टीकरण III। - उप-धारा (1), (2) और (3) में कुछ भी नहीं

यह कन्याकुमारी जिले पर लागू होगा।

23. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील का तर्क कि

469 गलत है, क्योंकि यह वर्तमान के तथ्यों पर लागू नहीं होता है मामला। यह अधिनियम की धारा 3 (3) (ए) के तहत किए गए एक आदेश से संबंधित है जिसके द्वारा उक्त मामले के प्रतिवादियों को जमा करने की अनुमति दी गई थी।

अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत उन्हें 'खेती करने वाले किरायेदार' के रूप में रखने वाले किराए के बकाया को अधिनियम की धारा 2 (ई. ई.) के तहत शामिल किया जा रहा है जो 'व्यक्तिगत खेती करें' अभिव्यक्ति के अर्थ को परिभाषित करता है। प्रत्यर्थियों के 'मकान मालिक' होने और अपीलकर्ताओं के 'खेती करने वाले किरायेदार' होने के राजस्व न्यायालय के निष्कर्ष पर अपीलकर्ताओं द्वारा कभी भी हमला नहीं किया गया। विशेष रूप से, सिविल संशोधन याचिका दायर करने की चुनौती केवल दिनांक 1 के बेदखली के आदेश तक ही सीमित थी, न कि मूल आदेश के खिलाफ, अर्थात् 2 के राजस्व न्यायालय के आदेश के खिलाफ, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलकर्ता किरायेदारों की खेती कर रहे हैं और प्रतिवादी जमींदार हैं और जिन्होंने 1 में उन्हें बेदखल करने का निर्देश दिया था।

दो महीने के भीतर पट्टे के किराए का भुगतान करने में विफलता की स्थिति।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. इसी तरह, जी पोन्निया थेवर बनाम में निर्णय का प्रस्ताव है।

नेल्लयम पेरुमल पिल्लई, (1977) 1 एस. सी. सी. 500, हम ध्यान देते हैं कि न्यायालय ने केवल यह अभिनिर्धारित किया था कि उस भूमि में जीवन संपदा रखने वाले व्यक्ति द्वारा शामिल किए गए कृषि किरायेदार भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संरक्षण के हकदार थे, यहां तक कि प्रवेशक के उत्तराधिकारियों के खिलाफ भी और उन्हें केवल अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके उसमें उल्लिखित कारणों से बेदखल किया जा सकता है। वास्तव में, पैराग्राफ नंबर 4 में, यह उल्लेख किया गया है कि अधिनियम की धारा 3 (2) असाधारण परिस्थितियों से संबंधित है, जैसे कि किराए के भुगतान में चूक, जिसमें किराए के निष्कासन से वैधानिक संरक्षण होता है।

किरायेदार को उठा लिया गया है। वर्तमान मामले में, वास्तव में, अधिनियम के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन किया गया है। इस प्रकार, हमारे विचार में, उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में समान रूप से प्रासंगिक नहीं है। 26. हमें डर है कि हम अपीलार्थियों को कोई लाभ नहीं दे सकते, जैसा कि सुओ में पारित विभिन्न आदेशों के आधार पर लिया जाना चाहिए।

2020 की मोटो रिट याचिका (सी) संख्या 3, दिनांक 23.03.2020 [(2020) 19 एस. सी. सी. 10] से शुरू होकर सीमा के विस्तार के लिए संज्ञान, पुनः (2022) 2 एस. सी. सी. 117 तक, इस कारण से कि यह याचिकाएं/आवेदन/दाखिल करने के लिए सीमा अवधि के विस्तार से संबंधित है। मुकदमे/अपील/सीमा के सामान्य कानून के तहत या किसी विशेष कानून (केंद्र और/या राज्य दोनों) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर अन्य सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही, और जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, इसका कोई असर नहीं है।

27. अदालत के आदेशों के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने का सवाल, किसी भी तरह से, सीमा से संबंधित नहीं है। किसी भी स्थिति में, आदेशों में, (2020) 19 एस. सी. सी. 10 से शुरू होकर (2022) 2 एस. सी. सी. 117 तक

(उपर्युक्त) यह न्यायालय न्यायिक/न्यायालय के आदेशों का पालन करने और/या उनका पालन करने के लिए व्यापक और/या सर्वव्यापी निर्देशों के माध्यम से समय नहीं बढ़ा रहा था। 2020 की सुओ मोटू रिट याचिका (सी) संख्या 3 में दिनांकित 23.03.2020 आदेश [(2020) 19 एस. सी. सी. 10] पर एस. कासी बनाम राज्य, (2021) 12 एस. सी. सी. 1 में टिप्पणी की गई है, जहाँ इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में राय दी है:

अपील/अन्य सभी कार्यवाहियों का विस्तार वकीलों/वादियों को इस तरह की कार्यवाहियों को दायर करने के लिए शारीरिक रूप से आने से रोकने के लिए किया गया था। संबंधित न्यायालय/न्यायाधिकरण। यह आदेश उन वादियों/वकीलों की सुरक्षा के लिए पारित किया गया था, जिनकी याचिकाएं/आवेदन/मुकदमे/अपील/अन्य सभी कार्यवाहियां समय की पाबंदी बन जाएंगी।

एलआरएस। वी. एल. आर. एकनाथ [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.]

इस तरह की कार्यवाही दायर करने के लिए शारीरिक रूप से आने में सक्षम नहीं होता। यह आदेशवादियों के लाभ के लिए था जिन्हें किसी अधिकार के लिए लागू कानून के अनुसार कानूनी उपाय करना पड़ता है। सीमा का कानून उपचार को रोकता है लेकिन अधिकार को नहीं। जब इस न्यायालय ने याचिकाएं/आवेदन/मुकदमे/अपील/अन्य सभी दायर करने की सीमा बढ़ाने के लिए उपरोक्त आदेश पारित किया

कार्यवाहियों में, आदेश उन लोगों के लाभ के लिए था जिन्हें उपाय करना है, जिनका उपाय समय पर बाधित हो सकता है क्योंकि वे ऐसी कार्यवाही दायर करने के लिए शारीरिक रूप से आने में असमर्थ थे।

(जोर दिया गया)

उन्होंने 18.02.2021 पर Rs.28,563/- जमा किया। एगो, यह स्पष्ट है कि तत्काल मामले में, अपीलकर्ताओं पर धान के 31 1/2 बोरे या उसके बराबर राशि का भुगतान करने के निर्देश का पालन करने में महामारी से प्रभावित ऐसी कोई विशेष बाधा नहीं थी, जो हमें अपीलकर्ताओं के पक्ष में झुकने के लिए मजबूर कर सकती थी।

29. एक अन्य पहलू जिस पर यह न्यायालय ध्यान नहीं देगा वह यह है कि अधिनियम खेती करने वाले किरायेदार को मकान मालिक के रूप में विशेषाधिकार प्रदान करता है, जिसके द्वारा खेती करने वाले किरायेदार को मकान मालिक द्वारा बेदखल किए जाने से बचाया जाता है। इस तरह का विशेषाधिकार देने के लिए, मकान मालिक के कहने पर खेती करने वाले किरायेदार को बेदखल करने का दायरा अधिनियम द्वारा सीमित है। इसलिए, अदालत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि खेती करने वाले किरायेदार के मकान मालिक द्वारा बेदखल करने के लिए उक्त सीमित आधार भी खेती करने वाले को कुछ अतिरिक्त लाभ या भोग देने से निराश न हों।

किरायेदार।

30. वर्तमान तथ्यात्मक व्यवस्था में, चूक कम से कम तीन साल की है, और दो महीने का दिया गया समय अपर्याप्त नहीं था। यह अभिलेख का विषय है कि जो भी भुगतान किया गया/जमा किया गया था, यह जाने बिना कि वह दिनांकित आदेश को संतुष्ट करता है या नहीं, दिनांकित आदेश की जानकारी की तारीख से चार महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद किया गया था, जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा स्वीकार किया गया था।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. जहाँ तक उच्च न्यायालय की शक्तियों की चौड़ाई और विस्तार का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 227 में हमें केवल एस्ट्राला रबर बनाम दास एस्टेट (पी) लिमिटेड (2001) सी 97 और गारमेट क्राफ्ट बनाम प्रकाश चंद गोयल (2022) 4 को लेने की आवश्यकता है।

181. एस्ट्राला रबर (ऊपर) में यह कहा गया था:

" 6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दायरे और दायरे की जांच की जाती है और इस न्यायालय के कई फैसलों में इसकी व्याख्या की जाती है। इस अनुच्छेद के तहत शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय का कर्तव्य शामिल है कि वह निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों को अपने अधिकार की सीमा के भीतर रखे और यह देखे कि वे कानूनी तरीके से उनसे अपेक्षित या अपेक्षित कर्तव्य का पालन करते हैं। उच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों की अधिकारिता की सीमाओं के भीतर की गई सभी प्रकार की कठिनाइयों या गलत निर्णयों को ठीक करने का कोई असीमित विशेषाधिकार नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग और अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों में हस्तक्षेप करना कर्तव्य के गंभीर अवहेलना के मामलों तक ही सीमित है।

और कानून के मौलिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन या

न्याय, जहाँ यदि उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है, तो एक गंभीर अन्याय ठीक नहीं होता है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि उच्च न्यायालय इस अनुच्छेद के तहत कार्य करते हुए अपीलीय न्यायालय के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है या इस मामले में अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

किसी त्रुटि को सुधारने के लिए अधीनस्थ न्यायालय का स्थान, जो अभिलेख के सामने स्पष्ट नहीं है। उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण के तथ्यों के निष्कर्षों को दरकिनार या नजरअंदाज कर सकता है, यदि औचित्य साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है या निष्कर्ष इतना विकृत है कि कोई भी उचित व्यक्ति संभवतः ऐसे निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है, जिस पर अदालत या न्यायाधिकरण आया है।

7. अहमदाबाद एम. एफ. जी. में यह न्यायालय। & कैलिको पी. टी. जी. कं.

लिमिटेड वी. राम ताहेल रामानंद [(1972) 1 एस. सी. सी. 898: ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 1598] ने ए. आई. आर. पैरा 12 में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार की सीमा के भीतर रखने के उद्देश्य से और केवल उपयुक्त मामलों में किया जाना है, न कि केवल त्रुटियों को सुधारने के लिए। इस संबंध में वरयाम मामले का भी उल्लेख किया गया है।

सिंह बनाम अमरनाथ [ए. आई. आर 1954 एस. सी. 215: 1954 एससीआर 565]। यह

बाथुतमल रायचंद ओसवाल बनाम में न्यायालय। लक्ष्मीबाई आर.

के. चिनामल (मृत) टीएचआर। एलआरएस। वी. एल. आर. एकनाथ [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.]

टार्टे [(1975) 1 एस. सी. सी. 858 ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1297] ने कहा है कि अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की शक्ति का उपयोग तथ्य की त्रुटि को ठीक करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो केवल एक उच्च न्यायालय ही न्यायालय के रूप में अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

अपील और यह कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए खुद को अपील की अदालत में परिवर्तित नहीं कर सकता है जब विधायिका ने अपील का अधिकार प्रदान नहीं किया है। इन स्पष्ट सिद्धांतों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से पार कर लिया।

32. हाल के परिधान शिल्प (ऊपर) में, इस न्यायालय ने इसे रखा है।

" 15. पक्षों के वकील को सुनने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि विवादित आदेश [प्रकाश चंद]

गोयल बनाम. गारमेट क्राफ्ट, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 11943] कानून के विपरीत है और इसे कई कारणों से बनाए नहीं रखा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से सीमित अधिकार क्षेत्र से विचलन के लिए।

उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 227 के तहत प्रयोग किया गया

भारत का संविधान। उच्च न्यायालय पर्यवेक्षी का प्रयोग करता है

क्षेत्राधिकार उन साक्ष्यों या तथ्यों की पुनः समीक्षा करने के लिए पहली अपील की अदालत के रूप में कार्य नहीं करता है, जिन पर चुनौती के तहत निर्धारण आधारित है। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार तथ्य की प्रत्येक त्रुटि या यहां तक कि एक कानूनी दोष को ठीक करने के लिए नहीं है जब अंतिम निष्कर्ष उचित है या हो सकता है

समर्थन किया। उच्च न्यायालय को तथ्यों और निष्कर्षों पर अपने स्वयं के निर्णय को निचली अदालत के लिए प्रतिस्थापित नहीं करना है या

न्यायाधिकरण। [सेलिना कोएल्हो परेरा बनाम। उल्हास महाबलेश्वर खोलकर (2010) 1 एस. सी. सी. 217: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 69] प्रयोग की गई अधिकारिता सुधारात्मक प्रकृति की है।

कर्तव्य की घोर अवहेलना या घोर दुरुपयोग, कानून या न्याय के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन को सही ठहराने के लिए अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाता है।

उपयुक्त मामले, जैसे कि जब कोई सबूत नहीं है

या निष्कर्ष इतना विकृत है कि कोई भी उचित व्यक्ति संभवतः इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है कि अदालत या न्यायाधिकरण आ गया है। यह स्वयंसिद्ध है कि इस तरह की विवेकाधीन राहत का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि न्याय की विफलता न हो। "[2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. यद्यपि विवादित निर्णय संक्षिप्त है, लेकिन पूर्व में गिने गए क्षेत्रीय कारणों और पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दिए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम इसे उचित नहीं समझते हैं -

इसके साथ।

34. तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र निरीक्षण पर, हम विवादित निर्णय और राजस्व न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 04.02.2019 और 03.12.2021 में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं। एन ऑर्डर दिनांकित 31.10.2022 खाली है।

35. तदनुसार, यह याचिका खारिज की जाती है।

36. कोई भी लंबित आवेदन बंद कर दिए गए हैं। 37. खर्चों में आसानी होती है।

याचिका

खारिज कर दी गई।

ग्यानडी. आरश चौधरी, एलसीआरए)